रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2680] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2016/कार्तिक 20, 1938
No. 2680] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016/KARTIKA 20, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का. आ. 3441 (अ).—कावेरी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) को तारीख 2 जून, 1990 को अधिसूचना सं.का.आ.437 (अ) तारीख 2 जून, 1990 द्वारा अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम,1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अंतरराज्यिक कावेरी नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए गठित किया गया था ;

और उक्त अधिकरण से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय को 5 अगस्त, 2005 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 980(अ), तारीख 12 जुलाई, 2005 द्वारा, रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को, 6 अगस्त, 2005 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 1399(अ), तारीख 1 सितम्बर, 2006 द्वारा, रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को, 6 अगस्त, 2006 से और छह मास की अवधि के लिए विस्तारित किया था ;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय, तारीख 05 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत कर दिए थे ;

और पक्षकार राज्यों और केन्द्रीय सरकार, ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन तारीख 27 अप्रैल, 2007, 30 अप्रैल, 2007 और 3 मई, 2007 को उक्त अधिकरण को और निर्देश किया था और अधिकरण ने 3 मई, 2007 से एक वर्ष के भीतर और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिकरण के अनुरोध पर, उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को समय – समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा 2 नवम्बर, 2016 तक बढाया गया था ;

और उक्त अधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना शेष है ;

और उक्त अधिकरण ने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को विस्तारित करने का पुनः अनुरोध किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 2 नवम्बर, 2017 तक की अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा.सं.1/5/2015–बी.एम]

अखिल कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :– मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं0 का0आ0 1164 (अ), तारीख 16 मई, 2008, अधिसूचना सं. का.आ. 2506 (अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2008, अधिसूचना सं. का.आ. 2628 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2009, अधिसूचना सं. का.आ. 2605 (अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2010, अधिसूचना सं. का.आ. 2482 (अ), तारीख 2 नवम्बर, 2011, अधिसूचना सं. का.आ. 2660 (अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2012, अधिसूचना सं. का.आ. 3306 (अ), तारीख 1 नवंबर, 2013, अधिसूचना सं. का.आ. 2809 (अ), तारीख 3 नवंबर, 2014 और अधिसूचना सं. का.आ. 2981 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गईं थी ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3441(E).— Whereas, the Cauvery Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to the said Tribunal) was constituted on the 2nd June, 1990 vide notification number S.O.437(E), dated the 2nd June, 1990 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Cauvery and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on or before the 5th August, 2005;

And whereas, the Central Government, vide notification number S.O.980 (E), dated the 12th July, 2005 had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 6th August, 2005;

And whereas, the Central Government vide notification number S.O.1399 (E), dated the 1st September, 2006 extended the period of submission of report and decision for a further period of six months with effect from the 6th August, 2006;

And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 5th February, 2007;

And whereas, the party States and Central Government made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 27th April, 2007, the 30th April, 2007 and the 3rd May,2007 and the Tribunal had to submit a further report within one year from the 3rd May, 2007;

And whereas, the Central Government has, on the request made by the Tribunal, vide notifications issued from time to time, extended the period of submission of further report by the said Tribunal till 2nd November, 2016;

And whereas, the said Tribunal is yet to submit its further report under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act;

And whereas, the said Tribunal has again requested the Central Government to extend the period of submission of its further report;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby further extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a period upto 2nd November, 2017.

[F. No. 1/5/2015-BM]

AKHIL KUMAR, Jt. Secy.

Note :-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1164 (E), dated the 16th May, 2008 and was subsequently amended vide numbers, S.O.2506 (E), dated the 23rd October, 2008, S.O. 2628 (E), dated the 19th October, 2009, S.O. 2605(E), dated the 21st October, 2010, S.O.2482 (E), dated the 2nd November, 2011, S.O. 2660 (E), dated the 31st October, 2012, S.O. 3306(E), dated the 1st November, 2013, S.O.2809 (E), dated the 3rd November 2014 and S.O.2981 (E), dated 2nd November, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.15 11:13:03 +05'30'